प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 जून, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में संस्थान के अंतर्गत निर्मित आंकोलाजी भवन के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर लो-एनर्जी लीनैक, एसीलेटर कक्ष एवं आंकोलाजी के तृतीय तल पर स्ट्रक्चर प्रोस्टेथेटिक तथा आर्थोटिक लैब, फिजियोथेरेपी एवं आक्यूपेशनल लैब के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-312/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2016 दिनांक 09 मई, 2016 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत के अंतर्गत निर्मित आंकोलाजी भवन के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर लो-एनर्जी लीनैक, एसीलेटर कक्ष एवं आंकोलाजी के तृतीय तल पर स्ट्रक्चर प्रोस्टेथेटिक तथा आर्थोटिक लैब, फिजियोथेरेपी एवं आक्यूपेशनल लैब के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-113/2015/4130/71-2-15-आर0एम0-18/2012 दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 द्वारा रू0 04.8550 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 01.9178 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष् 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत के अंतर्गत निर्मित आंकोलाजी भवन के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर लो-एनर्जी लीनैक, एसीलेटर कक्ष एवं आंकोलाजी के तृतीय तल पर स्ट्रक्चर प्रोस्टेथेटिक तथा आर्थोटिक लैब, फिजियोथेरेपी एवं आक्यूपेशनल लैब के निर्माण कार्य हेतु रू0 01,91,78,000/- (रूपया एक करोड इक्यानबे लाख अठ्ठत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा ई-परियोजना के पोर्टल पर प्रगति एवं लैण्डमार्क चरणबद्ध रूप से अंकित की जाय।
3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 22-12-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
6) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

8) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या- 79/2016/2112(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।